

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

(जी-03, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, बाईस गोदाम, जयपुर-302013)  
(टैलीफेक्स- 0141-2222403 ई-मेल- dlbrajasthan@gmail.com Web site- www.lsgraj.org)

क्रमांक:-एफ 9( )मु.श.ज.क.शि.-17/डीएलबी/17/1570

दिनांक: 10/7/2017

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 से "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" दिनांक 10.05.2017 से 10.07.2017 तक योजना की क्रियान्विति हेतु नगर निकायों में शिविर हेतु निकायों में शिविर आयोजित कर आमजन की कठिनाई के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के छूट देते हुए निर्देशित किया गया था।

उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु आयोजित किये जाने वाले शिविरों की अवधि दिनांक 11.07.2017 से 11.08.2017 तक बढ़ाई जाती है।

दिनांक 11.07.2017 से 11.08.2017 के अवधि में किये जाने वाले कार्यों एवं कैम्पों के प्रोग्राम की सूचना आज ही भिजवाने का श्रम करें।

  
(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-एफ 9( )मु.श.ज.क.शि.-17/डीएलबी/17/1571-1839

दिनांक: 10/7/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन मण्डल विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
9. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
12. नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
13. उपनिदेशक (क्षेत्रिय), स्थानीय निकाय विभाग, (समस्त)।
14. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त) राजस्थान।
15. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय।
16. प्रभारी, ओसवाल डाटा।
17. सुरक्षित पत्रावली।

  
(मुकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त निदेशक